

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / 2025 / 482/29

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत शिक्षा संकाय अन्तर्गत शिक्षा के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यविधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से ती नवर्ष की होगी :-

शिक्षा अध्ययन मण्डल

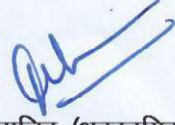
अधिनियम 28(2) एक	1.	रिक्त
28(2) दो	1.	रिक्त
	2.	रिक्त
28(2) तीन	1.	रिक्त
28(2) चार	1.	डॉ. विमल कुमार पाण्डेय विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, चन्द्रशेखर शिक्षा महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
	2.	डॉ. विवेक कुमार मिश्रा विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, एम.जे.एम. महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
28(2) पाँच	1.	डॉ. संतोष कुमार द्विवेदी विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, ज्योत्सना कालेज ऑफ एजुकेशन, सीधी (म.प्र.)
	2.	

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत डॉ. विमल कुमार पाण्डेय को शिक्षा अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञानसंकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलगुरु जी के सचिव / कुलसचिव के निजसहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)